CHILDREN BILL

Pandit Thakur Das Bhargava (Gurgaon): I beg to move:

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Bill to provide for the care, protection, maintenance, welfare training, education and rehabilitation of neglected children and juvenile delinquents in Part C States, as passed by Rajya Sabha, be extended up to the 30th November, 1956."

Mr. Speaker: The question is:

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the care, protection, maintenance, welfare training, education and rehabilitation of neglected children and juvenile delinquents in Part C States, as passed by Rajya Sabha, be extended up to the 30th November, 1956."

The motion was adopted.

WOMEN'S AND CHILDREN'S INSTITUTIONS LICENSING BILL

Pandit Thakur Das Bhargava: (Gurgaon): I beg to move:

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to regulate and licence institutions caring for women and children, be extended up to the 30th November, 1956."

Mr. Speaker: The question is:

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to regulate and licence institutions caring for women and children, be extended up to the 30th November, 1956."

The motion was adopted.

ABDUCTED PERSONS (RECOVERY AND RESTORATION) CONTINUANCE BILL*

The Minister of Works, Housing and Supply (Sardar Swaran Singh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to continue the Abducted Persons (Recovery and Restoration) Act, 1949, for a further period.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to continue the Abducted Persons (Recovery and Restoration) Act, 1949, for a further period."

The motion was adopted.

Sardar Swaran Singh: I introduce the Bill.

STATES RE-ORGANISATION (AMENDMENT) BILL**

The Minister of Legal Affairs (Shri Pataskar): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the States Reorganisation Act, 1956.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the States Reorganisation Act, 1956."

The motion was adopted.

Shri Pataskar: I introduce the Bill.

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL—*concld.*

Mr. Speaker: The House will now take up the clause-by-clause consideration of the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. I find that there are no amendments to clauses 2 to 6.

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 2, dated the 16th November 1956. pp. 853-54.

**Published in the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 2, dated the 16th November 1956, p. 855.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 to 6 were added to the Bill.

Clause 7.—(*Substitution of a new Schedule for the First Schedule*).

Mr. Speaker: Now, we shall take up clause 7.

Amendments made:

(i) Page 2, line 37—

omit "and special steels".

(ii) Page 3—

for line 4, *substitute*:

"(6) Special steels.

(7) Other products of iron and steel."

(iii) Pages 6 and 7—

(a) *for* lines 29 to 32 and 1 to 13, respectively, *substitute*:

"18. FERTILISERS:

(1) Inorganic fertilisers.

(2) Organic fertilisers.

(3) Mixed fertilisers.

19. CHEMICALS (OTHER THAN FERTILISERS):

(1) Inorganic heavy chemicals.

(2) Organic heavy chemicals.

(3) Fine chemicals including photographic chemicals.

(4) Synthetic resins and plastics.

(5) Paints, varnishes and enamels.

(6) Synthetic rubbers.

(7) Man-made fibres including regenerated cellulose-rayon, nylon and the like.

(8) Coke oven by-products.

(9) Coal tar distillation products like napthalene, anthracane and the like.

(10) Explosives including gun powder and safety fuses.

(11) Insecticides, fungicides, weedicides and the like.

(12) Textile auxiliaries.

(13) Sizing materials including starch.

(14) Miscellaneous chemicals." and

(b) *renumber* headings 19 to 37 as headings 20 to 38 respectively.

(iv) Page 10, line 7—

for "18, 20 and 21", *substitute* "18, 19, 21 and 22".

—[*Shri M. M. Shah*]

The Minister of Heavy Industries (Shri M. M. Shah): Over and above the four amendments adopted in view of the observations made by hon. Members in the House yesterday, I shall move the following amendments with your permission.

Sir I beg to move:

(1) Page 5—

after line 22 *add*:

"(14) Fire fighting equipment and appliances including Fire engines."

(2) Page 8—

(i) line 7, *for* "technical" *substitute* "chemical".

(ii) line 12, *omit*:

"Industrial and power".

This is intended to remove a printing error.

(3) Page 9—

after line 17, *add*:

"(6) Insulators

(7) Tiles."

Mr. Speaker: The question is:

Page 5—

after line 22 *add*:

"(14) Fire fighting equipment and appliances including Fire engines."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

Page 8—

(i) line 7, *for* "technical" *substitute* "chemical".

(ii) line 12, *omit*:

"Industrial and power"

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

Page 9—

after line 17 *add*:

"(6) Insulators

(7) Tiles."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 7, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri M. M. Shah: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

Mr. Speaker: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दिक्षण): अध्यक्ष जी, मैं चन्द बातें इस विधेयक के सम्बन्ध में कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के अधीन और ३५ व्यवसाय सरकार की तरफ से लिये जा रहे हैं और उन का प्रसार और विकास किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि व्यवसायों का प्रसार करते समय गवर्नमैंट इस बात का ध्यान रखे कि उन क्षेत्रों में भी व्यवसाय प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जाये, जो कि अनुन्नत हैं जहां कि आबादी घनी है और वहां इस समय कोई व्यवसाय नहीं है। किसी क्षेत्र में एक व्यवसाय स्थापित करने के साथ ही वहां पर कई साथी व्यवसाय प्रारम्भ हो जाते हैं, जिस से हजारों आदमियों को काम मिल जाता है। अभी हाल ही में पत्रों में पढ़ने को मिला था कि उत्तर प्रदेश में तीन इंडस्ट्रियल टाउन्ज और छः इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाये जा रहे हैं। इन टाउन्ज में बड़े बड़े कारखाने प्रारम्भ किये जायेंगे और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में काटेज इंडस्ट्रीज के तरीके पर छोटे बड़े काम किये जायेंगे इस सम्बन्ध में मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि अनुन्नत हैं और इस लिये जिन की तरफ सरकार का विशेष ध्यान हो चाहिये। जैसा कि पहिले भी कई बार कहा गया है, जिन क्षेत्रों में पहले ही काफी ज्यादा तरक्की की जा चुकी है, वहीं पर तरक्की हो रही है। मसलन उत्तर प्रदेश में जो तीन इंडस्ट्रियल टाउन्ज बनाये जा रहे हैं, वे आगरा, कानपुर और इलाहाबाद में बनाये जा रहे हैं। कानपुर पहले ही से इंडस्ट्री का एक बड़ा सेन्टर है। वहां पर एक इंडस्ट्रियल टाउन किस बात को मद्दे-नजर रख कर बनाया जा रहा है यह बात समझ में नहीं आती है। आगरा भी काफी उन्नतिशील है। वहां पर भी काफी इंडस्ट्रीज हैं। इलाहाबाद में यद्यपि कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वह काफी बड़ा शहर हैं और छोटे बड़े कई कल-कारखाने वह पर भी है। यह तथ्य है कि ये तीन इंडस्ट्रियल टाउन्ज उन्हीं जगहों पर बनाये जा रहे हैं, जो पहिले ही से काफी उन्नतिशील हैं। के छः छः करोड़ रुपये की लागत से बनाये जा रहे हैं।

इसी प्रकार इंडस्ट्रियल एस्टेटस भी उन्हीं स्थानों पर बनाई जा रही हैं जो कि पहले से उन्नतिशील हैं। वे आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, रुडकी, मेरठ, और आगरा के पास ही एक स्थान पर बनाई जा रही हैं। इस सम्बन्ध में मैं ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से बातचीत की और उन से पूछा कि इन

स्थानों का चुनाव किस प्रकार किया गया है। उन्हों ने कहा कि स्थानों का चुनाव केन्द्रीय सरकार करती है और रुपया भी केन्द्रीय सरकार देती है। जहां वह चाहती है, वहां ही इंडस्ट्रियल टाउन्ज और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाई जा रही हैं। मैं ने उन से कहा कि स्थानों का चुनाव आप कर सकते हैं, लेकिन उन्हों ने कहा कि नहीं, स्थानों का चुनाव केन्द्रीय सरकार ही करती है। इसलिये मैं आप का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के ग्यारह पूर्वी जिले हर साल बाढ़ के शिकार होते हैं।

गवर्नमेंट करोड़ों रुपये बाढ़ के नियोजन में और अकाल-पीड़ित आदमियों को खिलाने के वास्ते देती है लेकिन वहां पर सिवाय कुछ जिलों में चीनी के कारखानों के और कोई व्यवसाय नहीं है, और मैं समझता हूं कि अगर आप उन ग्यारह जिलों में से एक दो जिलों में नये व्यवसाय खोलने का निश्चय करते तो आप उन का बड़ा लाभ करते। सरकार का ध्यान ऐसे जिलों की तरफ जाना चाहिये था जहां कि हर साल बाढ़ें आया करती हैं और फसल खराब हो जाने के बाद वहां के लोगों में गेहूं चना और चावल बांटा करती है। मैं आपको बताऊं कि कुछ क्षेत्रों में कुछ दिनों से खादी बोर्ड तथा श्री गांधी आश्रम की तरफ से चर्खा का प्रचार है और उन क्षेत्रों में चर्खा प्रचार होने के कारण बाढ़ आने पर भी उन को इस से सहूलियत है और वह किसी का मूंह नहीं ताकते और अपने इस व्यवसाय से कुछ कमा लेते हैं। सरकार जो उन को दो आने फी गुंडी देती है उस से उन्हें सहायता मिलती है। इसी तरह मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि गोरखपुर, देवरिया और बस्ती आदि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में दियासलाई, बेत, कम्बल और पल्प का व्यवसाय बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है क्यों कि उस क्षेत्र में काफी तादाद में लकड़ी, बेत, ऊन उपलब्ध है। इस तरह के पल्प और दियासलाई आदि बनाने के उद्योग ऐसी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शुरू किये जाने चाहियें। हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मुंशी जी गोरखपुर में गये जब वहां पर अकाल पड़ा हुआ था और उन्हों ने कहा कि हरियाली में अकाल कैसा। हम ने उन को बतलाया कि जी हां हरियाली में अकाल पड़ता है क्योंकि हरियाली होने के साथ साथ वहां की जनसंख्या भी काफी बढ़ी हुई है और चूंकि उन क्षेत्रों में खेतीबाड़ी के अलावा और कोई व्यवसाय नहीं चलता है इसलिये बाढ़ आने पर और सूखा पड़ने और फसल बर्बाद हो जाने के बाद सिवाय मुंह ताकने के और उन के पास कोई चारा नहीं रहता। यहां की आबादी करीब एक हजार फी वर्गमील के हिसाब से है। राजस्थान और गुजरात की तरह यहां सूखा पड़ने के कारण अकाल नहीं आते हैं बल्कि इन हरियाले क्षेत्रों में अकाल आने का कारण वहां की घनी आबादी का होना है और मैं चाहता हूं कि सरकार इन क्षेत्रों में बड़े बड़े व्यवसायों के अलावा छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने की ओर ध्यान दे ताकि लोग दैवी विपत्ति पड़ने पर उन के द्वारा अपना पेट भर सकें। हम देख रहे हैं कि सरकार उन्हीं कस्बों और उन्हीं शहरों में और अधिक व्यवसाय शुरू करने जा रही है जो पहिले से काफी उन्नतिशील हैं। अब कानपुर जैसे व्यवसायिक शहर में जो कि हिन्दुस्तान का लंकाशायर कहलाता है वहां और अधिक व्यवसाय खोलना मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि कानपुर की आबादी पहले ही करीब पन्द्रह लाख के हो चुकी है और वहां पर आप और नये व्यवसाय शुरू कर के उस शहर के लिये एक गम्भीर और मुश्किल प्राबलम खड़ी कर देंगे क्योंकि इस तरह कानपुर की आबादी दो चार लाख और बढ़ जायेगी। इस लिये मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से प्रान्तीय सरकारों को हिदायत भेजनी चाहिये कि वे ऐसे स्थानों पर जहां कि काफी घनी आबादी है जैसे गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और उत्तरी बिहार के इलाके, और जो कि अनडेवलप्ड पड़े हुए हैं और जिनकी ओर अभी तक

[श्री सिंहासन सिंह]

ध्यान नहीं गया है, उन को डेवल्प किया जाय और वहां पर नये नये उद्योग शुरू किये जायें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपने मंत्री महोदय का ध्यान उत्तर प्रदेश के उन पिछड़े और अनडेवल्पड् इलाकों की तरफ दिलाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वे उन की बाबत पुनर्विचार करें और प्रान्तीय सरकार को लिखें कि वहां पर नये व्यवसाय शुरू किये जायें। इसी तरह उत्तरी बिहार के इलाके के लिये जहां कि हमेशा बाढ़ें आया करती हैं और सूखा पड़ता है, वहां पर नई नई इंडस्ट्रीज खोली जायें ताकि वहां के निवासी दैवी आपत्ति आने पर बिल्कुल बेसहारा न हो जायें और उन व्यवसायों के द्वारा अपना भरण पोषण कर सकें।

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): I want to make some announcement about the business of the House. Since some representations have been made to Government about the Indian Medical Council Bill and as they are just going to consider them, we do not now want to proceed with that Bill. We shall take it up some time later this session. So, after this Bill we will take up the Terminal Tax on Railway Passengers Bill.

Shri D. C. Sharma (Hoshiarpur): Copies of that Bill are not available at the Table.

Shri Satya Narayan Sinha: Copies of the Bill have been supplied in advance.

Shri U. M. Trivedi (Chittor): We have come prepared only for the Medical Council Bill.

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT Bill—*concld.*

Mr. Speaker: The House will now proceed further with the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill.

श्री श्री नारायण दास (दरभंगा मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५१ के उद्योग (विकास और संचालन) अधिनियम में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक में जो बातें दी गई हैं, उन का हृदय से समर्थन करता हूं। देश के नियोजित विकास के लिये यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न उद्योगों पर अपना नियंत्रण रखे, इस का समर्थन करते हुए इस मौके से मैं लाभ उठा कर जैसा कि अभी हमारे माननीय मित्र श्री सिंहासन सिंह ने अपने उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए इलाके की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, मैं भी अपना कर्तव्य समझता हूं कि उत्तरी बिहार के इलाके जो कि अविकसित अवस्था में हैं और जहां पर उद्योग धंधों का अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ है, उन की तरफ मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाऊं। मुझे इस बात की खुशी है कि अभी हमारे नौजवान मंत्री ने जो इसविभाग का कार्यभार सम्हाला है इस बात के पूरे प्रयत्न में हैं कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से मिल कर उस इलाके के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने के बाद फिर वहां के विकास के लिये कदम उठावें। साथ ही साथ मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे हाल में बिहार जानकारी प्राप्त करने गये थे और विकास सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के हेतु वहां उन्हों ने जो सभायें बुलाई थीं तो आमतौर पर सब ने उत्तरी बिहार की पिछड़ी हुई और अउन्नत अवस्था की ओर उन का ध्यान खींचा था और मुझे उम्मीद है कि यथाशीघ्र उत्तरी बिहार में उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकार के सहयोग से और राज्य की सरकार को इस में प्रोत्साहन